TENDER PORTION

दूरभाष : 01437–220177
फैक्स नं. 91–01437–220163

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांक: 6(178)एसपी / 2008 / दिनांक: 28.02.2014

To

M/s……………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

SUB: INVITATION OF TENDER AND INSTRUCTION TO TENDERERS.

Dear Sir(s),

I invite you to tender for the supply of the stores/items detailed in schedule. The conditions of contract, which will govern contract made are those contained in the general conditions of contract applicable to the contract placed by the Indian council of Agricultural Research and the Research institute under it and the special conditions detailed in tender form and those attached herewith. If you are in a position to quote for supply in accordance with requirements stated in the attached schedule. please submit your offer to this office on the prescribed tender attached.

2. EARNEST MONEY: Earnest Money of Rs. ……………...... (Rs. ……………………………………………only) must be deposited either in the shape of Demand Draft or T.D.R. in favour of **"I.C.A.R. Unit C.S.W.R.I. Avikanagar"** drawn on S.B.B.J.. Malpura (l0088) District Tonk (Rajasthan).

THE TENDER MAY NOT BE CONSIDERED IF THE EARNEST MONEY RECEIPT IS NOT SENT ALONGWITH THE TENDER. NO REQUEST FOR TRANSFER OF ANY PREVIOUS DEPOSIT OF EARNEST MONEY WILL BE ENTERTAINED.

It is understood that the tender document has been issued to the tenderer and the tenderer is being permitted to tender in consideration of the stipulation on his part that after submitting his tender he will not resile from his offer or modify the tender and conditions thereof. Should the tenderer fail to observe/comply with the foregoing stipulation. the aforesaid amount will be forfeited to the "Indian Council of Agricultural Research." In the event of the offer made by the tenderer not being accepted the amount of earnest money deposited by the tenderer will be refunded to him after he has applied for the same in the manner prescribed by the Indian Council of Agricultural Research.

The Earnest Money should not on any account fall short of the amount actually required.

3. The schedule to the tender form should be returned intact whether you are quoting any item or not.

4. SIGNING OF TENDER:
(a) The tender is liable to be ignored if complete information is not given therein or if the particulars and date, if any, asked for in the schedule to the tender are not fully filled in. Specific attention must be paid to delivery dated and also to the general conditions of the contract would be governed by them.
(b) Individual signing the tender or other documents connected with the contract must specify whether he signs as:
(i) A sole proprietor of the firm or constitute attorney of such sole proprietor.
(ii) A partner of the firm if it be a partnership, in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership either by virtue of the partnership agreement or power of attorney.
(iii) Constituted attorney of the firm if it is a company.
(iv) Each page of the tender, schedule to tender and annexure, if any, should be signed by the tenderer.

5. DELIVERY OF TENDER: The original copy of the tender is to be enclosed in double cover. The inner cover should be sealed. All the covers should be subscribed with "Tender for (name of items) & due on….. Right is reserved to ignore any tender which fails to comply with the above instructions. All out station tenders should be sent by Registered Post. Only one tender should be included in a cove. All tenders enclosed in one cover will liable to be ignored.

6. LAST HOUR FOR RECEIPT OF TENDERS: Unless otherwise specified in the schedule to tender, your tender must reach this office not later than 1.00PM on the due date of opening of tenders. Tenders sent by hand delivery should be put in the tender box at this office not later than 1.00 PM. On the due date unless otherwise stipulated in the schedule to tender.

7. PERIOD FOR WHICH THE OFFER WILL REMAIN OPEN:
   (i) Firms tendering should not that their offer should remain open for acceptance of 120 days from the date of opening of tender. If the firms are unable to keep their offer open for the specified period, they should specifically state in the tender form the period up to which they want their tender to remain open for acceptance. In the absence of such specification in the tender it will be assumed that their offer will remain open or acceptance for the period as specified in the schedule.
   (ii) Quotation qualified by such vague and indefinite compression such as "subject to immediate acceptance" subject to prior sale" will not be accepted.

8. OPENING OF TENDERS: You are at liberty to be present or authorize your representative to be present at the opening of the tender at the time and date as specified in the schedule. The name and address of the representative who would be attending to opening of the tender on your behalf should be indicated in your tender. Please also state the name and address of your permanent representative, If any.

9. PRICES.
   (1) The prices quoted most be net per unit shown in the schedule and must include all packing and delivery charges. Refunds on account of returnable packages (if any) are to be separately specified. Prices and reductions must be clearly shown in figures and words in Indian currency.
   (2) The prices must be stated for each item separately. The percentage of reduction in the total price for entire demand should also be quoted, should and order to that extent be placed with you.
   (3) If it is decided to ask for excise duty or any other charges as extra, the same must be specifically stated. In the absence of any such stipulation, it will be presumed that the prices include all such charges and no claim for the same will be entertained.
   (4) The prices by the tenderer should be exclusive of Sale Tax (and should be clearly stated to be so) which be paid by the purchaser, if legally livable at the rate ruling on the date of supply as specified in the acceptance of tender. The rate of sales tax/CST/VAT etc. should be clearly mentioned in the offer.

10. TERMS OF DELIVERY: The delivery of stores is required by the date specified in the schedule to tender. If, however, it is not possible for you to effect delivery by the dates, you should specify the date by which you can guarantee delivery in the prescribed schedule to the tender.

11. SAMPLES: Tender samples are required duly sealed under cover only.

    TENDER/QUOTATION WITHOUT SAMPLES WHEN SPECIFICALLY CALLED FOR ARE LIABLE TO BE IGNORED

12. EXAMINATION OF PATTERN OF CERTIFIED SAMPLES: When sealed pattern are mentioned in the schedule to the tender of specification. Certified sample thereof, may be seen at the place stated in the schedule to tender and should be examined by a competent person on your behalf (who should take this invitation with him) before the tender is submitted.

13. PACKING: Unless a method of packing is indicated in the specification or in the schedule to the tender for the method of packing which the contractor proposes to employ must be described in the schedule to tender form.

14. RIGHT OF ACCEPTANCE: The office does not pledge itself to accept the lowest or any tender and reserves itself the right of accepting the whole or any part of the tender or portion of the quantity offered and you, shall supply the same at the rates quoted. You are at liberty to tender for the whole or any portion or to state in the tender that the rate quoted shall apply only if the entire quantity is taken from you.

15. COMMUNICATION OF ACCEPTANCE: Express Telegram/Letter of acceptance or formal acceptance or tender will communicate acceptance by the purchaser. In the case where acceptance is communicated by telegram or express letter the formal acceptance of tender will be forwarded to you as early as possible but the instruction contained in the express telegram or letter should be acted upon immediately.

16. The purchaser reserves the right to place order on the successful tenderers for additional supply of the items at the rate quoted depending upon the performance/workmanship of the tenderer. Tenderers are bound to accept order for any additional quantity under this clause only if the order is placed with them within one year from the date of issue of acceptance of tenders.

17. In case a contract is placed on you as a result of this tender you should satisfy yourself that the stores are in accordance with the terms of contract and fully confirm to the required specification by carrying out thorough pre-inspection. Such pre-inspection on your part should minimize the chance of rejection in the inspection and the consequences thereof.

18. This contract will be valid and binding subject to compliance of concerned act/regulation of central or state, as may be applicable, by the tenderers.

Yours faithfully,

For and on behalf of the ICAR
DIRECTOR
CSWRI, AVIKANAGAR

Tender No.
Contractor's Fax No.
Address
Telephone No.
Code

From

To

The Director
Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar
Teh. Malpura, Distt. Tonk (Rajasthan) – 304 501

Sir,

I/We hereby offer to supply the stores detailed in the schedule hereto or such portion thereof as you may specify in the acceptance of tender at the price given in the said schedule and agree to hold this offer open till 120 days. I/we shall be bound by a communication/acceptance dispatched within the prescribed time.

I/We have understood the instructions to tenderers and conditions of contract included in the general conditions of contracts governing such contracts placed by the Indian Council of Agricultural Research and Research Institutes under it and the special conditions of contract and have thoroughly examined the specification/drawing and/or pattern quoted in the schedule there to and am/are fully aware of the stores required and my/our offer is to supply stores strictly in accordance with the requirements.

The following pages have been added to and form part of this tender.

Yours faithfully

(Signature of Tenderer)

Name

Address

Dated

Signature of witness

Name

Address

Enclosures: As above.

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(178)एसपी/2008/ दिनांकः 28.02.2014

निविदा प्रपत्र सूची

1. भरे हुये निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 20.03.2014 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 20.03.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : 25000/– रूपये
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन
5. निविदा शुल्क : 1000/– रूपये व डाक द्वारा मंगवाने पर 1050/– रूपये

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर प्रति माह सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित कार्य का अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रक्ट)	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	Rs.__________ रूपये ____________________

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

<u>संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित कार्य अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करने कि नियम व शर्ते</u>

1. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। **निविदा संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 20.03.2014 तक समय 1.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त, ईमेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं कि जावेगी। **ठेकेदार के पास श्रम विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अथवा पेन कार्ड तथा इसकी फोटोप्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।** निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें।
2. ठेकेदार को निविदा के साथ 1000/– रूपये का निविदा शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) एवं 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये मात्र नकद अथवा का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्लूआरआई अविकानगर, मालपुरा **(ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura)** के नाम से देय जमा हो अमानत राशि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. ठेकदार के पास भारत/राज्य सरकार से विद्युत संबंधी 11000/415 वोल्ट के रख–रखाव कार्य व विद्युत से सम्बन्धित सभी कार्य/रख–रखाव को करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाईसेन्स होना आवश्यक है बिना लाइसेंस के कोई निविदा स्वीकार नहीं कि जावेगी।
4. ठेकदार को 11000/415 वोल्ट के 1000 के.वी. व इससे अधिक लोड वाले संस्थान/ऐजेन्सी/कम्पनी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
5. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। साथ ही जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
6. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
9. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. **कार्य कि प्रकृति :** यह विस्तृत अनुरक्षण ठैका परिसर में सिथत सभी नियमित स्थापित विद्युत व्यवस्था के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। ठेके की समायावधि के दौरान निम्न लिखित स्थापित विद्युत व्यवस्था को सही प्रकार से रखना आवश्यक होगा।

    क. संस्थान के सभी कार्यालय भवनों जैसे– प्रशासनिक भवन, एन.पी.बी. भवन, टी.एम.टी.सी. भवन, पुस्तकालय भवन, केन्टीन ब्लॉक, अभियांत्रित इकाई, ऑडोटोरियम, क्रीडा भवन, मेन गेट, के.बी. कॉम्पलेक्स, पशु स्वास्थ्य विभाग, मांस विज्ञान, केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालय, समाज सदन, अतिथि–गृहों, शॅापिंग कम्पलेक्स, सभी भेड़/बकरी/खरगोश सैक्टर, सभी पीने के पानी वाले एवं कृषि कार्य में प्रयोग पम्प हाऊसेज, सुरक्षा बिन्दु (घरेलू एवं नोन–घरेलू (N.D.S. & D.S.) आदि (लगभग 5000 बिन्दु) पर विद्युत की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना।

    ख. स्ट्रीट (सडकों) लाईट जिसमें फ्लोरोसंट, एच.पी.एस.वी., एच.पी.एम.वी.,एच.पी. एवं सी.फल.एल., लाईटें शामिल हैं (लगभग 250 बिन्दु) का रख–रखाव करना।

    ग. लगभग 250 आवासीय मकानो की विद्युत रख–रखाव कार्य (लगभग 250 बिन्दु)।

    घ. 25 KVA से 160 KVA तक क्षमता वाले बाहरी सब स्टेशन–कम–वितरण ट्रान्सफामर्स, लगभग 11 KVA/415 वोल्ट्स वाले 12 स्टेशन (बाइन्डिंग संस्थान की होगी) का रख–रखाव करना।

    च. 11 KV 415 वोल्ट्स LT वाले लगभग 30 किलोमीटर लम्बाई वाली ओवर हैड लाईन का रख–रखाव करना।

    छ. 5 HP एवं 2 INCH GI discharged क्षमता वाले लगभग 16 पम्प एवं 4 बूस्टर पम्प सेट्स के बिजली बोर्डो/पेनल का रख–रखाव।

    ज. 110 एवं 160 KVA वाले दो स्थिर जनरेटर सेट्स एवं 2/3 छोटे पॉरटिबल जनरेटर सेट्स के बिजली बोर्ड/पेनल का रख–रखाव।

    झ. सस्थान में स्थित 380 केवीए के जेनेटर 160 केवीए एवं जेनेटर 12 केवीए के 2 जेनेटर सेट का प्रतिदिन रख–रखाव व संचालन हेतु कुशल संचालक तीनों पारियों में उपलब्ध करवाने होंगे व रिलिवर भी उपलब्ध करवाने होंगे।

11. **शिकायत दूर करने/निवारण के लिये अनुरक्षण स्टॉफ उपलब्ध कराना/लगाना :**
    अ) सम्पूर्ण परिसर में आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु उपकेन्द्रों (Sub-stations), ओवर हेड लाईन्स, पम्पस आदि एवं विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी ।
    ब) स्ट्रीट लाईट, कार्यालय भवनों एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु एवं विद्युत संबंधी शिकायतो के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।
    स) आवासीय भवनों के रख–रखाव एवं विद्युत संबंधी शिकायतो के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार प्रतिनिधि की होगी।

द) ठेकेदार द्वारा एक बिन्दु अस्तित्व वाली लाईन के बारे में संस्थान के अभियांत्रिक प्रभारी के साथ समन्वय एवं उपर्युक्त ठेका का पर्यवक्षण हेतु एक पर्यवक्षक उपलब्ध कराना।

12. कार्य क्षेत्रः वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार को शिकायत निवारण के अतिरिक्त निम्न लिखित अनुरक्षण /निर्धारित कार्य भी करने होगेंः

1. सभी LT पेनल्स का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
2. सभी मुख्य बोर्डो का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
3. सभी उप–मुख्य बोर्डो का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
4. सभी डीबी का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
1. अर्थ सेट्स की जांच करना (एक वर्ष में एकबार)।
6. सभी मुख्य बोर्डों, उप मुख्य बोर्ड एवं डीपी में अर्थ निरन्तरता की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
7. पोल (खम्भों) की पुताई एवं चिन्हित करना (एक वर्ष में एक बार)।
8. सभी प्रकार की फिटिंग की साफ–सफाई करना (एक वर्ष में ओसतन चार बार)।
9. HT/LT ओवर हेड लाईट लाईन को कसना/सेग (sag) की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
10. HT/LT ओवर हेड इन्सूलेटर की जांच करना एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
11. HT/LT की क्रास आर्म्स/स्ट्रटे आर्म्स इन्सपेक्सन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
12. ट्रान्सफामर्स का ऑयल लीक, ऑयल की स्तर, कनैक्सन, साफ–सफाई, अर्थिंग आदि की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
13. GO स्विच की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
14. HT/LT जम्फर कनैक्शन का इन्सपैक्शन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में एक बार)।
15. संस्थान में स्थापित सभी ए.सी., वाटर कूलर, डीप फ्रिज, फ्रिज, कूलरों का रख–रखाव व इन कार्यो हेतु रेफ्रीजेरेशन मेकेनिक व हैल्पर भी उपलब्ध कराना होगा।
16. संस्थान में स्थित समस्त टेलीफोन व इन्टरनेट संबंधी समस्त कार्य जिसमें वाईफाई सिस्टम एवं ओ.एफ.सी. का कार्य का रख–रखाव करना व इन कार्यो हेतु कुशल तकनीशियन व हैल्पर उपलब्ध करवाना होगा।

13. यह कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये बिजल आपूर्ति अधिनियम/नियमों के अनुसार किया जावेगा।
14. इस कार्य में विद्युत अनुरक्षण एवं ब्रेक डाऊन/वर्तमान में स्थापित विद्युत व्यवस्था मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सम्मलित है।
15. इस कार्य में आंतरिक स्थापित विद्युत व्यवस्था की आवश्यकतानुसार सामान्य मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सम्मलित है।
16. **ठेकेदार को संस्थान परिसर में प्रभारी विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर विद्युत कार्य से सम्बन्धित शिकायत पंजिका/लॉग बुक रखनी होगी।**
17. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अलग से एक कार्य डायरी रखनी होगी जिसमें सम्बन्धित शिकायतकर्ता/प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से कार्य संबंधी शिकायत दूर करने पर हस्ताक्षर करवाने होंगें।
18. ठेकेदार को संस्थान में विद्युत के रख–रखाव हेतु 3 शिफ्ट में कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
19. ठेकेदार को संस्थान में नियुक्त प्रतिनिधियों के अवकाश पर रहने कि स्थिति में रिलिवर के तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि शिफ्ट में कर्मचारियों कि कमी नहीं हों।
20. ठेकेदार को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा बताये गये कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा।
21. प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य करने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे ठेकेदार को मानना होगा। साथ ही ठेकेदार को 24 घंटे सेवा देनी होगी।
22. **रख–रखाव हेतु सभी कार्य सामग्री (फ्यूज वायर, इन्शुलेशन टेप, स्क्रूज, टेप, सेंडल, लकडी की गट्टी, चैकनट्स, वाशर, सेन्ड, सीमेंन्ट एवं टेस्ट लेम्प आदि को छोडकर) संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी तथा जारी की गई सामग्री के प्रयोग में लेने एवं हिसाब हेतु शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना आवश्यक होगा।**
23. कार्य स्थल तक सामग्री ले जाने के लिये साधन की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी तथा संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नही करवाया जावेगा।
24. चूँकि संस्थान परिसर बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है अतः ठेकेदार/उनके प्रतिनिधियों को विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण करने हेतु आने व जाने के लिये उचित परिवहन/साधन स्वयं ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नही करवाया जावेगा।
25. परिवहन साधन की अनुलब्धता के कारण बिजली की आपूर्ति एवं शिकायत दूर करने में देरी स्वीकार्य नही होगी यदि समय पर शिकायत का निराकरण नही होता है तथा संस्थान को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो परिस्थिति अनुसार उचित निर्धारित हर्जाना (दण्ड) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा या ठेकेदार के देय बिल मे से कटैती की जावेगी।
26. ठेका समयावधि के दौरान जेवीवीएनएल से बिजली आपूर्ति बंद करने एवं पुनः आपूर्ति चालू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इसके लिये ठेकेदार को उचित अभिलेखन/रिकार्ड रखना होगा तथा ठेका समाप्त होने पर प्रभारी, उपकरण/विद्यूत अनुभाग को सौपना होगा।
27. शिकायत दूर करने के लिये जारी एवं लगाई जाने वाली सामग्री एवं टूटी हुई वापिस प्राप्त की गई सामग्री का विस्तृत विवरण ठेकेदार को रखना होगा।
28. शिकायत निवारण के समय खराब/टूटी/बेकार सामग्री होने पर ही बदली जावेगी तथा सामान को बदलने के उपरान्त शिकायतकर्ता से लगाये गये सामान की रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि खराब सामग्री उपलब्ध नही है इस स्थिति में प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से खराब सामग्री उपलब्ध नही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बदली जायेगी।
29. भवनों में स्थित विद्युत संबंधी सम्पति की सूची विद्युत अनुभाग द्वारा ठेकेदार के हस्ताक्षर लेने के बाद दी जायेगी तथा वार्षिक अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार द्वारा सम्पति की सूची विभाग को संभलवानी होगी। किसी भी प्रकार का नुकसान एवं कमी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी।

30. शिकायतों को 24 घंटे के अन्दर–2 दुरस्त करना होगा। कोई भी शिकायत बिना कारण/स्वीकृति के लम्बित नही रखी जावेगी। यदि समय पर शिकायत का निराकरण नही होता है तथा संस्थान को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो परिस्थिति अनुसार उचित निर्धारित हर्जाना (दण्ड) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा या ठेकेदार के देय बिल मे से कटोती की जावेगी।
31. यदि ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि बिना प्रभारी की आज्ञा के कार्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाते है एवं विद्युत से सम्बन्धित कोई अति–आवश्यक शिकायत प्राप्त होती हैं तथा उसका निराकरण संस्थान के स्थाई कर्मचारी से करवाया जाता है तो उस कर्मचारी के वेतन के अनुसार ठेकेदार के देय बिल मे सें उस राशि की कटौती की जावेगी अथवा ठेकेदार को दी जाने वाली राशि से (कार्य के लिये दिए जाने वाले शुल्क का दोगुना) कटौती की जायेगी। यह कटौती ठेकेदार का कार्य सन्तोष–जनक नही रहने एवं कार्य पर अनुपस्थित होने की दशा में भी की जायेगी।
32. रख–रखाव में फिटिंग एसेसरीज एवं फिक्चर्स को बदलना भी शामिल हैं। पंखों/फिटिंग्स/सब–स्टेशन एरिया की सफाई भी इस ठेके में शामिल हैं।
33. आवश्यकता पडने पर पेडों की छंगाई/ओवर हेड लाईन पर लटकने वाली टहनियों को हटाना भी इस ठेके के अन्तर्गत करना होगा।
34. ठेकेदार को रख–रखाव की निरंतरता बनाए रखने के लिये यदि प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता हैं तो उसके स्थान पर तुरंत प्रभाव से एवजी उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नही करने पर संस्थान द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि की दुगनी कटौती की जाएगी। इस प्रकार की घटना बार–2 होने पर बडा दण्ड लगाया जायेगा जिसमें ठेका समाप्त भी किया जा सकता हैं।
35. ठेकेदार को अपने टूल्स एवं ट्रेकल्स जिसमें वर्किंग टूल्स, ओ एच लाईन पुलर, 30 फीट लम्बी सीढी, HT/LT प्रोटेक्शन गियर, कार्शन बोर्ड, लाईन अर्थिंग गीयर, मैगर्स, क्न्टीन्यूटी चैकर्स, टार्च लाईट इत्यादि यह सभी ठेकेदार को रख–रखाव हेतु नियुक्त वायर मेन/लाईनमेन/इलेक्ट्रिशियन कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए कुछ भी अतिरिक्त देय नही होगा।
36. किसी भी शिकायत को बिना उचित कारणों के 24 घंटें के अन्दर दुरस्त नहीं करने पर 100 रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन के हिसाब से दण्डात्मक कटौती की जाएगी।
37. संस्थान में स्थापित विद्यूत इकाईयों को चालू/साफ एवं अच्छी स्थिति में रखने तथा धूल एवं कीडों आदि से बचाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
38. ठेकेदार को संस्थान परिसर में विद्युत आपूर्ति संबंधी अभिलेखन रखना होगा।
39. ठेकेदार द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु किसी भी बाल श्रमिक को कार्य पर नही लगाया जाएगा।
40. ठेकेदार द्वारा बिना वैधानिक लाइसेंस वाले प्रतिनिधियों को विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु नही लगाया जाएगा।
41. विद्युत इकाईयों में कोई भी खराबी आने पर उसे तुरन्त प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को सूचित करना हेगा ऐसा नही करने पर ठेकेदार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा तथा उस खराबी अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा। ईकाई को गलत ढंग से चलाने के कारण खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा उसे अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा।
42. ठेकेदार द्वारा पानी के पम्पों, ट्रांसफामर्स, HT/LT स्विच गियर, HT/LT ओवर हेड लाईन्स, मैन बोर्ड, डीबी इत्यादि का सुरक्षात्मक रख–रखाव करना होगा।
43. **ट्रांसफामर्स से वर्ष में एक बार आयल निकालना एवं अच्छा आयल डालने का कार्य भी ठेकेदार को करना हेगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा। आयल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।**
44. **अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे– बल्ब, ट्यूब, स्टार्ट, एसेसरीज, तार, इन्सूलेटर सिवच इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाएगें जिनके उपभोग एवं भंडार को लौटाई गई खराब सामग्री का पूरा विवरण ठेकेदार को रखना होगा।**
45. स्ट्रीट लाईट, ओ एच लाईट इत्यादि के लिये सीढी एवं सभी टी एवं पी ठेकेदार द्वारा लानी होगी। सफाई हेतु सभी सामग्री भी ठेकेदार द्वारा लानी होगी।
46. ठेकदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों आदि को वर्दी/जूते/नाम पट्टिका आदि पहनाना होगा।
47. ठेकेदार/प्रतिनिधि प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से सम्पर्क रखकर विद्युत से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए समन्वय, नियंत्रण एवं पारस्परिक सम्पर्क कराना होगा।
48. विद्युत इकाईयों के अनुरक्षण संबंधी बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी अभियांत्रिक को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
49. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने पर निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर का निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा। ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को लेने से पूर्व इस पर अपनी सहमति देनी होगी।
50. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, अभियांत्रिक से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा– निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नही होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
51. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
52. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
53. कार्य अवधि में अनुबन्धकर्ता के श्रमिक/मशीन को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा अनुबन्धकर्ता स्वयं पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
54. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
55. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान

करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

56. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
57. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
58. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
59. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
60. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
61. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
62. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
63. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
64. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
65. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में विद्युत के रख–रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

संलग्नक : 1. श्रम विभाग से पंजीकृत होने कि प्रतिलिपि।
2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि।
3. 1000/– रूपये नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट (नॉन रिफण्डेबल)।
4. 20,000/– रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट।
5. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।
6. भारत/राज्य सरकार द्वारा विद्युत संबंधी 11000/415 वोल्ट के रख–रखाव संबंधि लाईसेन्स कि प्रति।

SCHEDULE TO TENDER

Date & Time of Receipt of Tender : 20.03.2014 at PM 1.00 PM
Date & Time of Opening of Tender : 20.03.2014 at PM 3.00 PM
The tender shall remain open for
Acceptance till : 120 days from the date of opening

Item No.	Description of goods	Specification No or Sealed Pattern	Number or Quantity	Unit Price	Station of dispatch

(The special instruction of conditions of contract applicable to this tender are attached to this schedule).

---

1. Purchaser : The Director, Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar (Malpura) Distt. Tonk (Rajasthan) 304 501

2. Store are required by (date to be indicated) : Immediately

3. Consignee : Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar Tehsil Malpura Distt. Tonk (Raj.)

4. The tenderers must quote clear delivery terms indicating FOB&CIF basis for imported stores and FOR station dispatch for indigenous/Ex-stock deliveries as applicable. Incomplete tenders are liable to be ignored.

5. Tenderers are bound to accept order for additional quantity at the rate quoted only if order is placed on them within one year from the date of issue of acceptance of tender.

6. In case the tenderer wants to furnish in a separate covering letter any additional information/particulars of quoted conditions (e.g. those relating to allowance, discount and rebate etc), which cannot be accommodated in the tender form by means of a note. Indication to the effect must be mention in the tender from, in the absence of such indication in the tender form the contents of the covering letter will be ignored in consideration of tender.

7. Firm should not that it is desired that their offer should remain open for acceptance for 120 days from the date of opening the tender. If the firms are unable to keep their offers open for the specified period they should specifically state in the tenders to remain open for acceptance for the period as specified in the schedule to Tender.

8. The rates for the items required in accordance to the specifications mentioned in the tenders will only be considered otherwise the same will be rejected.

9. The rates should be quoted F.O.R. Institute’s Godown (and not premises) inclusive of all charges but exclusive of Sales Tax, if any.

10. The tenderer should also submit along with their tender. Income Tax and Sales Tax clearance certificate (duty countersigned by Income Tax Officer and Commercial Taxation Officer of the circle concerned under the seal of his office and also indicate the name and full address of their Banker).

11. The supply of the items will have to be completed within 30 days from the receipt of the acceptance of tender failing which it will be presumed that the tenderer is not interested in the supply and the order will automatically stand cancelled and security money deposited will be forfeited.

12. A sample of the item should be first got approved before supply of the entire quantity.

13. The firm in whose favour the tender is accepted will have to deposit an amount equal to 10% of the value of contract as Security Deposit and will have to sign an agreement before execution of work. The Security Deposit will be refunded after satisfactory supply and on the expiry of period of six month after warranty/completion of work. In case of imported items., L.C. will generally be opened on 90% of FOB value and balance 10% will be paid in Indian Rupees. The Indian agent should be registered with the DGS&D and copy of registration should be enclosed along with tenders.

14. The rates accepted will remain valid for a period of one year from the date of acceptance unless it is extended or discontinued in writing.

TENDERERS MUST GIVE SPECIFIC ANSWERS AGAINST EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS. TENDERS CONTAINING EQUIVOCAL OR EVASIVE REPLIES WILL BE IGNORED.

15. Whether stores offered confirm to particulars quoted in the schedule? Is not, details of deviation must be stated here.

16. (i) Brand
    (ii) Name and address of the manufacturer
    (iii) Station of Manufacture
    (iv) Life span prescribed by the manufacturer of the items(s)
    (v) Guaranteed date by which delivery can be completed.
    (vi) Packing that is proposed to employee.
    Whether specification packing will be adhered to.
    (vii) Whether sample submitted.
    (viii) (a) Gross weight of consignment.
    (b) Net weight of packed items.

17. Whether you agree to the inspection clause as stipulated.

18. Stock in hand at the present time consists of:
    (a) Held by us__________.
    (b) Held by M/s________________________.

    Over which we have secured an option.

19. Stock routed in India.

20. If the stores offered are manufactured in India? Whether all the raw materials, component etc. used in their manufacture are also produced in India. If not give details of materials, components etc. that are imported and their countries of origin. A clear breakup of the indigenous and imported component together with value and the proportion it bear to the total value of the stores should also be given:

21. Raw materials are held in stock sufficient for the manufacture of ____________________.

22. (i) Here state specially whether the price tendered by you is to the best of your knowledge and belief not more than the price usually charged by you for stores of the same nature, class or description to any private purchaser domestic or foreign as well as purchaser Govt., Semi Govt., Autonomous organization etc., If not state the reasons thereof and also indicate the margin of differences.
    (ii) In respect of indigenous stores for which there is a controlled price fixed by law, the price quoted shall not be higher than the controlled price. If the price quoted exceeds the controlled price, the reasons therefore shall be specifically stated.

23. Business name and constitution of tendering firm:
    Is the firm registered under
    (i) The Indian Companies Act., 1596.
    (ii) The Indian Partnership Act, 1932. (Please give the names of partners)
    (iii) Any other (Please specify):

24. Do you agree the Arbitration clause stipulated? Your acceptance or non-acceptance of this clause will not influence the decision of the tender. It should however, be noted that an omission to answer the above question will be deemed as an acceptance to this clause.

FOR PARTNERSHIP FIRM WHETHER REGISTERED OR NOT REGISTERED UNDER INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.

Should the answer to this question by a partnership firm be in the affirmative, please state further:

25. (a) Whether by the partnership agreement, authority to refer disputes concerning the business of Partnership to arbitration has been conferred to the partner who has signed the tender?
(b) If the answer to (a) is in the negative whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the tender to refer disputes concerning business of the partnership to arbitration.
(c) If the answer to either (a) or (b) is in the affirmative, have you already furnished a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be to I.C.A.R./ Institute/ Lab./ Centre/ Station. Please quote reference to the communication by which this was done.

N.B.1. If a copy of neither the partnership agreement nor the general power for attorney has previously been furnished to the ICAR Institute/ Lab./ Centre/ Station, please attach to tender a copy of either document on which reliance is placed for authority of partners or the partner signing the tender or refer disputes of arbitration. The copy should be attested by the **Notary Public** or it’s execution should be admitted by affidavit on a properly stamped paper by all the partners.

2. Where authority to refer disputed to arbitration has not been given to the partner signing the tender, the tender must be signed by every partner of the firm.

26. <u>FOR MANUFACTURING FIRM:</u>
I. What is your installed capacity?
II. What is your working capacity?
III. What is the existing load?
IV. What portion of your capacity
You prepared to reserve and allocate to this rate Contract?

27. <u>FOR SOLE AGENTS/STOCKISTS:</u>
I. What is your present stock?
II. What is the volume of orders (including Govt./Others) Pending with you at present.
III. What is the rate of flow of stocks?
IV. What is the rate of issue?

28. (i) What stock you will maintain at each important center in India.
(ii) What is the time and date required for replacement of the stocks at these centers?

29. Whether Earnest Money has been deposited? If so details thereof date and amount deposited should be quoted.

Note: Clause not required in a particular tender should be scored out duly authenticated before assuring the tender documents to the intending tenderers.

30. <u>GENERAL</u>: Tenderers should furnish a clear declaration as following:

I/We declare that I am/We are

(i) Manufactures
(ii) Manufacturer’s authorized agents
(iii) Holders in stocks of the stores tendered for
(Strike our what is not applicable)

31. <u>CONDITIONS OF CONTRACT</u>: Printed or cyclostyled or such terms and conditions of tendering firms not appearing in the body of the tender will not be considered as forming part of their tender. Tendering firms should quote on the basis of the conditions referred to in para I of the Invitation to Tender and Instructions to Tenderers. In case any terms and conditions of contract applicable to this Invitation to Tender are not acceptable to the tendering Firms they should specifically state deviation there from in the body of their tender.

32. <u>DEVIATION FROM SPECIFICATION</u>: It is in the interest of the tenderers to study the specification/drawing etc. specified in the tender schedule thoroughly before quoting so that if any deviations are made by the tenderers the same are prominently brought out in the body of their tender.

33. PRICE:

A. prices must be in terms of new coinage system viz. Rupees & Paisa.

B. The unit prices should be for the same units indicated in the schedule to enquiry and not any other unit.

C. Prices quoted should be invariably for delivery FOR Station of destination or (of dispatch) in India and inclusive of charges such as packing, forwarding, custom duty, control ete. Where applicable.

D. Quantity discount, if any should be indicated prominently.

E. The FOR Station of dispatch prices shall be deemed to include free delivery to the consignee situated within municipal Corporation limits/ radius of 10 Kilometers from the firm premises in case of local delivery.

F. (i) Offers on firm price basis are preferred.

(ii) Where firms cannot quote firm prices, variable prices with a ceiling are preferred.

(iii) Where wages escalator is insisted upon due consideration is given to the offer with lowest wages escalator factor.

34. <u>CUSTOM DUTY & OTHER CHARGES</u>: The rate should be quoted on FOB basis and also CIF basis separately. The rate of custom duty in terms of percentage or exact amount must be shown for each item. The packing, forwarding, loading, unloading and other incidental charges by whatever name they may be known should be quoted/shown separately otherwise it will be presume that rate quoted are inclusive of all charges.

35. <u>TRANSIT INSURANCE:</u> The purchaser will not pay separately for transit insurance and the supplier will be responsible till the entire stores contracted arrived in good condition at destination.

The consignee shall as soon as possible but not letter than 60 days of the date of arrival of stores at destination, notify the contractor of any loss or damage to the stores that may have scoured during transit.

36. <u>PAYMENT TERMS:</u> The standard terms of payment as embodied in the General Conditions of contract and or special conditions of contract will apply and no relation will be possible. The payment term on bill basis is generally accepted and the payment of contractor bill will be made within reasonable time say 30 days after receipt of material in good condition and as per specification.

37. <u>ADDITIONAL PARTICULARS TO BE FURNISHED BY THE TENDERER</u>: Tenderers shall submit along with their tenders:

(i) An Income Tax Clearance and S.T. Certificate (duly countersigned by the Income Tax Officer of the circle concerned under the seal of his office.

(ii) Name and full address of their Banker.

(iii) The equipment they possess for the manufacture of the stores and quality control details.

(iv) Copy of any other license/certificate required the law relating to concern subject.

NOTE: Tender not containing the above particulars are liable to be ignored.

38. GUARANTEE/WARRANTY: The tenderers shall furnish along with their quotation the under noted guarantee/warranty:-

(i) Guarantee that they will supply parts if and when required on the agreed basis for an agreed price. The agreed basis be an agreed discount on the published catalogues or on agreed percentage of profit on the landed cost.

(ii) Warranty to the effect that before going out of production for the spare parts they will give adequate advance notice to the purchaser of the equipment so that the later may undertake the balance of the life-time requirements.

(iii) The warrantee to the effect that they will make available the blue prints or drawing of the spears, if any when required in connection with the main equipment.

(iv) The Contractor or shall furnish the following warranty in case contract is placed on him.

The Contractor or seller hereby declares that the goods/stores/articles sold to the buyer under this contract shall be of the best quality (and workmanship and shall be strictly in accordance with the specifications and particulars contained/mentioned in the clause………………… hereof and Contractor/Seller hereby guarantee that eh goods/stores/articles would continue to confirm to the description and quality aforesaid for the period of …………….. days/months and quality aforesaid from the date of delivery of the said goods/stores/articles to the purchaser and that notwithstanding the fact that the purchaser (Inspector) may have inspected and/or approved the said goods/stores/articles.

If during the aforesaid period of …………………… days/months the said goods/stores/articles be discovered not to confirm to the description and quality aforesaid or have deteriorates (and the decision of the purchaser in that behalf will be final and conclusive), the purchaser will be entitled to reject the goods/stores/articles or such portion thereof as may be discovered not be confirmed to the said description and quality. On such rejection the

goods/stores/articles will be at the seller's risk and all the provisions herein contained relating to rejection of goods, shall if so, called upon to do replace within a period of ………………. Months/or such further period as may be extended from time to time by the purchaser in his discretion made here before by them on an application contractor/Seller of the goods, stores or such portion thereof as of rejected by the purchaser and in such an event the above mentioned warranty period shall apply to the goods/stores articles replaced from the date of replacement thereof otherwise the contractor /seller shall pay to the purchase such damage as may arise by reason of the breach of the conditions herein contained. Nothing herein contained shall prejudice any other right of the purchaser in the behalf under this contract otherwise.

39. JURISDICTION: All question, disputes or differences under, out of or in connection with the contract, if concluded shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court within the local limits of whole jurisdiction the place from which the acceptance of tender is issued is situated.

Signature of Tenderer
& Address

CENTRAL SHEEP &WOOL RESEARCH INSTITUTE
AVIKANAGAR TEHSIL MALPURA DISTT. TONK (RAJ.)

CHALLAN FOR REFUND OF EARNEST/SECURITY MONEY CUM PRE-RECEIPT

Sl.No.	Amount of deposit	CM No./TR5 (GAR) No./FDR/call deposit receipt/ DD No./ STDR No. and date	Purpose for which deposited

Received a sum of Rs.______________________ (Rupees _________________________________ only)
as a refund of Earnest/Security Money deposited with you.

SIGNATURE OF DEPOSITOR
Climbing Refund along with
A **revenue stamp**

Name …………………………………

Address ………………………………
………………………………………..